मूलवाद सं0–101/2015

दिनांक–17.10.2016

पुकारा गया। उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 25क1 इस आशय का दिया गया है कि उक्त वाद में दौरान मुकदमा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा विवादित भूमि गाटा संख्या–2412/2 में देवस्थान व वादीगण के आवासीय पट्टे पर आने जाने के रास्ते को बन्द कर दिया है तथा पूरब पश्चिम और दक्षिण दिशा में 8 फीट ऊँची दीवाल का निर्माण करा लिया गया है तथा वाद भूमि के अन्दर दो पक्के कमरों का निर्माण व उत्तर दिशा की ओर पुराने बने कच्चे कमरे का जीर्णो द्वार कराकर छप्पर डाल लिया है। ऐसी स्थित में वाद में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। संशोधन से वाद की प्रकृति एवं प्रभाव में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः प्रार्थना की है कि न्यायहित में वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करे की कृपा करें।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 25क1 के विरोध में मौखिक आपत्ति का पृष्ठांकन किया गया है।

सुना एवं पत्रावली अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र 25क1 द्वारा वादीगण वाद पत्र में संशोधन किये जाने के बाबत दिया गया है। जिसे स्वीकार कर लेने से वाद को अन्तिम रूप से गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करने में मदद मिलेगी। अतः प्रार्थना पत्र 25क1 स्वीकार करने के आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना पत्र 25क1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 25क1 स्वीकार किया जाता है। वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह संशोधन अन्दर सप्ताह करें बाद संशोधन पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 07.11.2016 को पेश हों।

सिविल जज (जू0डि0)
कुलपहाड़, महोबा।